पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 378/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-29.12.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 29.12.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है:-

01.थाना-निजामाबाद:- साइबर फ्राड के 4,950 रूपये वापस कराया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 13.08.2024 को आवेदक राहुल गौड़ निवासी कस्बा निजामाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के खाते से 4,950/- रूपये गलती से दूसरे खाते में चला गया था। जिस पैसे को वापस न दिये जाने पर पीडित द्वारा साईबर हेल्प लाइन नं0 1930 के माध्यम से शिकायत संख्या 33108240101060 पंजीकृत कराया गया। जिसके आधार पर क0आ0 योगेन्द्र यादव थाना निजामाबाद द्वारा आवेदक के खाते से कटे पैसे वापस कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया गया।

➡ आवेदक राहुल गौड़ के साईबर कम्पलेन 33108240101060 के जांच के क्रम में थानाध्यक्ष निजामाबाद व साईबर हेल्पडेस्क टीम उ0नि0 (प्र0) उमेश सिंह के निर्देशन में बैंक मैनेजर से संपर्क कर कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए योगेन्द्र यादव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा आवेदक के खाते में कुल 4,950/- रूपये वापस कराया गया। जिसपर आवेदक द्वारा पुलिस के प्रति आभार प्रगट किया गया।

पुलिस टीम:-

1. उ0नि0(प्र0) उमेश सिंह थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
2. कम्प्यूटर ऑपरेटर योगेन्द्र यादव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

02.थाना-पवईः-साइबर फ्राड के 49000 रूपये वापस कराया गया

* घटना का संक्षिप्त विवरणः-*

दिनांक 18.11.2024 को आवेदक प्रिंकेश यादव पुत्र गुलाब चन्द यादव निवासी ग्राम डेहरी थाना पवई जनपद आजमगढ के खाते से 49000/- रूपये आवेदक से गूगल-पे माध्यम से फ्राड किया गया था। जिसके सम्बन्ध में साईबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 पर फोन कर शिकायत संख्या 38450212000 8200 दर्ज कराया गया तथा जाँच से पैसे भिन्न-भिन्न खातों में जाना पाया गया। उक्त शिकायत पर विधिक कार्यवाही कराते हुये साईबर हेल्पडेस्क कम्प्यूटर आपरेटर आदेश कुमार थाना पवई आजमगढ़ द्वारा फ्राड हुए 49000 रूपये विपक्षी के खाते में होल्ड करा दिया गया व पैसे वापस कराने हेतु अन्य अग्रिम कार्यवाही की गयी।

➡ आवेदक प्रिंकेश यादव पुत्र गुलाब चन्द यादव निवासी ग्राम डेहरी थाना पवई जनपद आजमगढ के प्रा0पत्र/ साईबर कम्पलेन के जांच के क्रम में कम्प्यूटर आपरेटर आदेश कुमार व म0आरक्षी अंशिका यादव थाना पवई आजमगढ़ द्वारा आवेदक के खाते में कुल 49000/- रूपये वापस कराया गया।

पुलिस टीमः-

1. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड- ए आदेश कुमार थाना पवई, आजमगढ़।
2. म0 आरक्षी अंशिका यादव थाना पवई ,आजमगढ़।

03.थाना-सरायमीरः-अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 28.12.2024 को उ0नि0 पंकज यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति इरशाद कुरैशी पुत्र बुद्धन कुरैशी निवासी मुहल्ला पठान टोला, कस्बा व थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष को शेरवा नहर पुलिया से समय करीब 22.00 बजे एक अदद अवैध तमंचा .303 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 667/24 धारा 3/7/25 शस्त्र अधि0 बनांम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

बरामदगी-

1.एक अदद तमंचा .303 बोर

2.अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

इरशाद कुरैशी पुत्र बुद्धन कुरैशी निवासी मुहल्ला पठान टोला, कस्बा व थाना सरायमीर आजमगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष

01. मु0अ0स0 667/24 धारा 3/7/25 शस्त्र अधि0 थाना सरायमीर आजमगढ़

02.मु0अ0सं0 006/2027 धारा 3/5ए/8/ गोबध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना सरायमीर आजमगढ़

03.मु0अ0सं0 130/2015 धारा 3/5ए/8/ गोबध निवारण अधि0 थाना सरायमीर आजमगढ़

04. मु0अ0सं0 208/2015   धारा 3/5ए/8/ गोबध निवारण अधि0 थाना सरायमीर आजमगढ़

05.मु0अ0सं0 136/2016 धारा 3/5ए/8/ गोबध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना सरायमीर आजमगढ़

04.थाना-कप्तानगंजः-हत्या के प्रयास में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरणः-

दिनांक 25.12.2024 को वादिनी जूली गुप्ता पुत्री चन्द्रप्रकाश गुप्ता ग्राम कप्तानगंज जनपद आजमगढ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि समय लगभग19.15 बजे वादिनी के मिठाई की दुकान पर आकर वादिनी के भाई शुभम गुप्ता पुत्र चन्द्र प्रकाश गुप्ता को पुरानी रंजिश को लेकर कस्बा कप्तानगंज के रहने वाले रोहित शुक्ला उर्फ छोटू शुक्ला पुत्र गुड्डू शुक्ला कस्बा कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ अपने साथी विशाल चौबे पुत्र योगेन्द्र चौबे ग्राम चकसमसपुर भाऊपुर थाना रानी कि सराय जनपद आजमगढ़ के साथ मिठाई मागँने के दौरान विशाल चौबे द्वारा पिस्टल से जान से मारने की नियत से फायर कर दिया जिससे वादिनी के भाई के हाथ में चोटे आयी हैं। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 425/2024 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त 01. रोहित शुक्ला उर्फ छोटू शुक्ला पुत्र गुड्डू शुक्ला कस्बा कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ 02. विशाल चौबे पुत्र योगेन्द्र चौबे ग्राम चकसमसपुर भाऊपुर थाना रानी कि सराय जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। मुकदमा उपरोक्त में पूर्व में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

गिरफ्तारी की विवरणः-

आज दिनाक 28.12.24 को उ0नि0 ओम प्रकाश दूबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रोहित शुक्ला उर्फ छोटू शुक्ला पुत्र त्रिवेणी शुक्ला निवासी कस्बा कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को जेहरा पिपरी मोड़ से समय करीब 12.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।